अत्यावश्यक/
आज ही जारी हो

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांकः प.22(1)न्याय/2022 जयपुर, दिनांक 18.07.2022

श्रीमती शबाना कुरेशी
सहायक विधि परामर्शी
कार्यालय मुख्य अभियन्ता,
सार्वजनिक निर्माण विभाग,
जयपुर।

विषयः—राजकीय आदेशों की अवहेलना के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने बाबत।
संदर्भः— इस विभाग की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 16.06.2022 के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 16.06.2022 द्वारा आपका स्थानान्तरण सहायक विधि परामर्शी, कार्यालय मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर से जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में सहायक विधि परामर्शी के रिक्त पर किया गया। आपको मौखिक रूप से तुरन्त प्रभाव से कार्यग्रहण करने हेतु निर्देशित किया गया था, परन्तु आपके द्वारा आज दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं किया गया है, जबकि इस विभाग के आदेश क्रमांक प.22(4)न्याय/2002 दिनांक 03.07.2002 के अनुसार उक्त आदेश की पालना 7 दिवस में की जानी थी। आप द्वारा राजकीय आदेशों की अवहेलना की गई है, इसे राज्य सरकार द्वारा गम्भीरता से लिया गया है, क्यों नहीं आपके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जाए।

अतः आप अविलम्ब कार्यग्रहण करते हुए अपना स्पष्टीकरण 7 दिवस में प्रस्तुत करें। यदि आपके द्वारा प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं दिया गया तो यह मान लिया जाएगा कि आप उपरोक्त तथ्यों से सहमत है व नियमानुसार आपके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाएगी।

18.7.22

(अंकित रमन)
संयुक्त शासन सचिव

D:\VINOD 2015\VINOD BAIRWA\LETTTER-2018.docx